on web site http://www.ireps.gov.in
CAO/Con/North/MHX, Patna
PR/234/CON/Engg./C/19-20/40

जी-11163/19

तिरंगा राष्ट्र की शान है,
इसे प्लास्टिक से न बनायें

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(CO-ORDINATION BRANCH)
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110 002

Hindustan Times 10/5/19

PUBLIC NOTICE

Grant of paid holiday to employees on 12.05.2019 (Sunday) the day of poll.

It is notified for information of the General Public that as per the provision of Section 135 B(1) of the Representation of the People Act 1951, every person employed in any business, trade, industrial undertaking or any other establishment and entitled to vote, shall be granted a holiday on **12.05.2019 (Sunday)**, the day of Poll in Delhi, so that he/she can cast his/her vote in the election to the Lok Sabha, 2019.

As per sub-section (2) of section 135 B of the Representation of the People Act 1951, no deduction or abatement of the wages shall be made on account of above holiday and if any person is employed on the basis that he/she would not ordinarily receive wages for such a day, he/she shall nonetheless be paid wages he/she would have drawn had not a holiday been granted to him/her on that day.

Any contravention of the above provision by an employer is punishable as per the Provision of section 135 B (3) of the Representation of People Act, 1951.

However, as per sub-section (4) of section 135 B of the Representation of the People Act 1951, this section shall not apply to any elector whose absence may cause danger or substantial loss in respect of the employment in which he is engaged.

It is further brought to the notice of all concerned that Election Commission of India vide letter No. 78/2019/EPS dated 22.03.2019 has clarified that **all establishments and shops** including those which work on shift basis **shall be closed on the day of poll** in the Constituency where a general election is to be held. Further, there may be cases where a person is ordinarily resident of the constituency and registered as an elector, may be serving/employed in an industrial undertaking or an establishment located outside the constituency having a general election, in such a situation even those electors including casual worker working outside the constituency concerned would be entitled to the benefit of a paid holiday extended under section 135 B (1) of the Representation of the People Act, 1951. The daily wage/casual workers are also entitled for a holiday and wages on poll day as provided in section 135 B of the Representation of the People Act, 1951.

(Amitabh Kundoo)
Dy. Secretary (GAD)

DIP/Shabdarth/0076/19-20

Scanned by CamScanner

निर्वाचन / महत्वपूर्ण
संख्या–989 ई–2 / तेरह–2019–38 / 2014

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागपत / गाजियाबाद / गौतमबुद्धनगर।

09 MAY 2019

आबकारी अनुभाग–2

लखनऊ::दिनांक 09 मई, 2019

विषयः– **दिल्ली राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 में मतदान तथा मतगणना दिवस के अवसर पर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–1136 / सी0ई0ओ0–2–08 / 2–2019, दिनांक 07.05.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं0–576 / 19 / 2019 / ई0ई0पी0एस0, दिनांक 22.03.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए दिल्ली राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 हेतु मतदान दिवस दिनांक 12.05.2019 को मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व की अवधि में तथा मतगणना दिवस 23.05.2019 को दिल्ली राज्य से लगे उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में मद्य निषेध दिवस घोषित किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्देश निर्गत कराने की अपेक्षा की गई है।

2– उक्त के संबंध में आपका ध्यान उ0प्र0 आबकारी (संशोधन) नियमावली–1999 जिसे आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की अधिसूचना सं0–5131 / दस–97–बी / लाइसेंस–99–2000, निर्वाचन, दिनांक 10.09.1999 द्वारा प्रकाशित किया गया है, की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें प्राविधान है कि यदि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य या उप निर्वाचन में हो, उस निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारो ओर 08 किमी क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा, बीयर, देशी मदिरा, ताड़ी एवं भांग की समस्त लाइसेंस प्राप्त दुकानें और उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाइसेंस, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–135(ग) के खण्ड–1 में यथा उपबन्धित मतदान की सामप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टें पूर्व की अवधि के दौरान बन्द रहेंगे। आप अवगत है कि शासकीय अधिसूचना सं0–838ई–2 / तेरह–2010–25 / 2010, दिनांक 08.04.2010 द्वारा मादक वस्तुओं को कब्जे में रखं जाने की सीमा नियंत्रित रखे जाने का प्राविधान है,

3– अतः संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उक्त पत्र दिनांक 07.05.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र में किये गये अनुरोधानुसार दिल्ली राज्य के लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 के लिए नियत मतदान दिवस दिनांक 12.05.2019 को मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तथा मतगणना के दिवस

Scanned by CamScanner

दिनांक 23.05.2019 को लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से दिल्ली राज्य की सीमा से लगे हुए उ0प्र0 के उक्त जनपदों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आबकारी दुकानों की बन्दी एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबन्धित/नियंत्रित करने हेतु संगत नियमावली एवं लाइसेंस शर्तों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं अवैध मदिरा की तस्करी पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जाए।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–989(1) ई–2/तेरह–2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–1136/सी0ई0ओ0–2–08/2–2019, दिनांक 07.05.2019 के सम्बन्ध में।

(2) मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया दिल्ली राज्य से लगे उ0प्र0 की सीमवर्ती क्षेत्रों में नियमानुसार मद्य निषेध दिवस घोषित करने हेतु संबंधित को भी अपने स्तर से निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

(3) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धित मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE
L-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE
NEW DELHI (PR BRANCH)

PUBLIC NOTICE

In pursuance of the provision of Rule 52 of Delhi Excise Rules, 2010, it is hereby ordered that the following dates/days shall be observed as "**Dry Days**" on account of General Elections to Lok Sabha, 2019 by L-1, L-1F, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-6FG, L-6FE, L-7, L-7FG, L-7FE, L-8, L-9, L-10, L-12, L-12F, L-14, L-15, L-15F, L-16, L-16F, L-17, L-17F, L-18, L-18F, L-19, L-19F, L-20, L-20F, L-21, L-21F, L-22, L-23, L-23F, L-25, L-26, L-27, L-28, L-28F, L-29, L-29F, L-31, L-32, L-33, L-34, L-35, P-10 and P-13 licensees and opium vends located in Delhi.

1. **From 6.00 PM on 10.05.2019 (Friday) to 12.05.2019 (Sunday) upto 6.00 PM (i.e. for 48 Hours)**
2. **Whole day of 23.05.2019 (Thursday) on account of counting Day.**

Sd/-

COMMISSIONER OF EXCISE

CONSUMPTION OF LIQUOR IS INJURIOUS TO HEALTH

DIP/Shabdarth/0061/19-20

Scanned by CamScanner